न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 04.04.2018

श्री आशिष पिता पृथ्वीराज गाडरी निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्री रामलाल पिता केशुराम गाडरी निवासी सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 20.12.1973 पट्टा संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत सेमलिया

उपस्थिति : 1– श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री महेश चन्द्र कुमावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.12.1973 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर जारी किया गया है जो कि कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। पट्टे में वर्णित भूमि पर उसके बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत सेमलिया से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत सेमलिया का पत्रांक/स्पे./01/18–19 दिनांक 08.05.2018 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित कोई भी पत्रावली/मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है मात्र मूल पट्टा ही है जिसकी

प्रमाणित प्रति प्रेषित की है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र कुमावत ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार सेगवा का स्थायी निवासी है। पट्टे में वर्णित भूमि पर उसके बाप-दादाओं के जमाने से कब्जा चला आ रहा है तथा मकान बना होकर भूखण्ड का उपयोग वर्षो से करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पंचायती नोहरा गाडरियान ह. रामा पिता केसु निवासी सेगवा के नाम पट्टा जारी किया है जो गलत है कभी भी उक्त पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा नोहरा बनाने हेतु कब्जा सिपूर्द नहीं किया। पंचायत द्वारा पट्टा बनाने से पूर्व ना तो मौका निरीक्षण किया और ना ही पर्चा मौका बनाया, ना ही कोई मिसल कायम की, ना ही कोई आम सूचना जारी की जाकर गांव के चौराहे पर सूचना चस्पा की तथा पट्टे की भूमि के आस-पास भी कोई सूचना चस्पा नहीं की। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई तथा न ही पंचायती राज अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की कोई पालना की गई। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं होकर मात्र पट्टा है। अतः पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.12.1973 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होने से निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत सेमलिया ने पंचायती नोहरा गाडरियान हस्ते रामा पिता केसु के नाम को जो पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.12.1973 जारी किया गया है उक्त पट्टे के भूखण्ड पर कभी गाडरियान समाज का कब्जा नहीं रहा है ना ही मेरा कब्जा या मेरे पिता का कोई कब्जा रहा है और ना ही गाडरी समाज के किसी व्यक्ति का मैने कब्जा देखा है। उक्त भूखण्ड पर वर्षो से निगराकार का कब्जा मैने देखा है निगराकार ही उक्त भूखण्ड का उपयोग-उपभोग करता आया है और आशीष ही मकान बनाकर निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे पट्टा जारी किया है जो कि गलत है उक्त पट्टा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब करने पर ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली/मिसल ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया है।

विक्रय-विलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उसमें ना तो सचिव के हस्ताक्षर हैं और ना ही उप सरपंच के हस्ताक्षर हैं, उप सरपंच के हस्ताक्षर पर कांट-छांट की हुई है तथा ना ही किसी साक्षी के हस्ताक्षर किये हुए हैं। विक्रय-विलेख पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर कर उक्त विक्रय-विलेख जारी किया

गया है जो कि प्रथम दृश्टया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित नियमों व प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकारिता से परे जाकर जारी करना प्रतीत होता है।

विपक्षी संख्या 1 ने भी जिनके नाम पर/हस्ते पंचायती नोहरा गाडरियान समाज का पट्टा संख्या 02 जारी किया गया है उक्त पट्टे की भूमि पर गाडरी समाज, विपक्षी संख्या 1 स्वयं का या उसके पिता का कब्जा नहीं होकर निगराकार का ही मकान निर्मित होकर, निगराकार का ही कब्जा होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेमलिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 (पंचायती नोहरा गाडरियान ह. रामा पिता केसु गाडरी) के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 02 दिनांक 20.12.73 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)